भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 877

उत्तर देने की तारीख 04.12.2025

जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से होने वाली मौतें

† 877. प्रो. सौगत राय:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के कारण हुई शिशु मृत्यु का राज्य- वार ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या बंबई उच्च न्यायालय ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में शिशुओं में कुपोषण की समस्या से निपटने में सरकारों के अत्यंत लापरवाह रवैये की आलोचना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में जनजातीय लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग)- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोर लड़कियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए अम्ब्रेला मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयन अम्ब्रेला योजना है जिसमें किसी भी लाभार्थी के लिए सेवाओं को पंजीकृत करने और प्राप्त करने के लिए कोई प्रवेश बाधा नहीं है। यह मिशन सभी जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक भागीदारी, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पैरवी जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए एक नई रणनीति बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने के मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं (पद्धतियों) के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि कमजोरी, बौनापन और कम वजन होने की व्यापकता को कम किया जा सके। मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक भागीदारी, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और वकालत जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए एक नई रणनीति बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने के मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और

आयुष प्रथाओं (पद्धतियों) के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि कमजोरी, बौनापन और कम वजन होने की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 साल), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों को जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ी चक्र को मात देने के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। एनएफएसए की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; हालाँकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए एडब्ल्यूसी को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका हुआ भोजन और घर ले जाने वाले राशन की तैयारी के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरे (मोटे अनाज) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण को रोकने और उपचार करने और संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए नवाचार (प्रोटोकॉल) जारी किया है।

इस मिशन के तहत, पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक गतिशीलता और जागरूकता की वकालत प्रमुख गतिविधियों में से एक है क्योंकि अच्छी पोषण आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ों के दौरान जन आंदोलनों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित आयोजनों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं (पद्धतियों) को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, अब तक, 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत (अपग्रेड) करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों सहित विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करने के लिए सभी लघु (मिनी) आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्ता और एक सहायक के साथ एक पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत (अपग्रेड) करने का नीतिगत निर्णय लिया है। 31.10.2025 तक 1,11,363 लघु (मिनी) एडब्ल्यूसी को मुख्य एडब्ल्यूसी में उन्नत (अपग्रेड) करने के लिए मंजूरी जारी की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के व्यापक दौर ने पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। एनएफएचएस-I से एनएफएचएस-5 तक के बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	बौनापन	कम वजन	कमजोर
एनएफएचएस -I (1992-93)	52	53.4	17.5
एनएफएचएस -2 (1998-99)	45.5	47	15.5
एनएफएचएस -3 (2005-06)	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस -4 (2015-16)	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)	35.5	32.1	19.3
आंगनवाड़ी में मापा गया बच्चों का पोषण ट्रैकर डेटा (अक्टूबर 2025) * * *	33	14	5

* 4 साल से कम * * 3 साल से कम * * * 5 साल से कम

एनएफएचएस-I से एनएफएचएस-5 के बारे में उपरोक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की एक प्रतिनिधि तस्वीर देती है। पोषण ट्रैकर डेटा केवल 0-5 वर्ष के बच्चों के बारे में कुपोषण का विवरण देता है जो आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और ऊंचाई तथा वजन के लिए मापे जाते हैं।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.75 करोड़ है (स्रोतः भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। हालांकि, अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 6.64 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी में नामांकित किया गया था और महिला और बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया था। इनमें से 6.44 करोड़ बच्चों को ऊंचाई और वजन के विकास मापदंडों पर मापा गया। इनमें से 33% छोटे कद के पाए गए हैं, 14% कम वजन वाले और 5% कमजोर पाए गए हैं।

उपरोक्त एन. एफ. एच. एस. आंकड़ों और पोषण ट्रैकर आंकड़ों के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है। बौनेपन, कमजोरी और कम वजन पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार डेटा लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics से प्राप्त किया जा सकता है।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले पांच वर्षों के लिए जारी की गई धनराशि की स्थिति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जारी की गई धनराशि का विवरणः

(करोड़ रु. में)						
	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (31.10.2025 तक)
		निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.71	3.85	12.15	9.63	4.73
2	आंध्र प्रदेश	744.6	827.79	705.68	645.73	350.41
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	137.78	162.06	102.61	109.66
4	असम	1319.9	1651.63	2233.31	2482.34	877.5
5	बिहार	1574.43	1740.09	1859.29	2262.92	878.71
6	चंडीगढ़	15.32	33.1	19.79	14.56	5.94
7	छत्तीसगढ़	606.73	668.96	579.46	733.3	324.44
8	दमन एवं दीव	9.33	5.8	11.97	9.13	3.6
9	दिल्ली	133.11	182.77	161.81	160.41	131.88
10	गोवा	10.84	14.71	13.95	13.44	1 1.16
11	गुजरात	839.86	912.64	1126.8	601.32	337.53
12	हरियाणा	173.03	195.25	225.78	232.69	43.35
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	270.24	301.09	313.07	174.52
14	जम्मू और कश्मीर	405.74	479.01	530.88	662.79	256.89
15	झारखंड	352.98	430.91	664.3	496.95	384.18
16	कर्नाटक	1003.7	765.87	912.96	886.85	512.35
17	केरल	388.23	444.98	306.64	435.74	98.77
18	लद्दाख	14.7	18.79	19.62	18.89	13.58
19	लक्षद्वीप	2.11	0.44	2.88	1.35	0.57
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1011.57	1123.11	1144.54	725.56
21	महाराष्ट्र	1713.39	1646.17	1699.52	1368.84	911
22	मणिपुर	228.92	135.95	201.28	342.8	133.15
23	मेघालय	173.33	192.39	269.69	137.93	66.18
24	मिजोरम	59.32	42.81	100.27	55.29	32.57
25	नागालैंड	159.8	199.3	262.91	147.01	62.67
26	ओडिशा	1065.98	923.92	968.8	948,16	699 46
27	पुडुचेरी	2.78	0.12	4.48	3.68	2.55

28	पंजाब	383.52	75.31	307.87	265.48	124.14
29	राजस्थान	682.65	974.02	1091.96	741.85	640.60
30	सिक्किम	25.73	20.33	33.49	18.07	8.93
31	तमिलनाडु	655.38	766.81	880.79	638.47	460.17
32	तेलंगाना	482.33	550.69	507.87	430.76	52.21
33	त्रिपुरा	186.72	150.52	244.22	153.41	123.9
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2721.87	2668.69	2694.62	1802.49
35	उत्तराखंड	353.65	425.84	288.24	216.33	194.2
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1227.59	1237.56	1513.8	1033.41
कुल		18368	19849.8	21741.2	20904.8	11593.3

****